


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 979]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938

No. 979]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 1492(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना -2021 में इसके अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.11.2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 2916 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियांसुझाव/ आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में लिए निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-डी में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.2021/क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1	2	3	4	5
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा भवन, जो सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित है एवं जिसका मुख्य द्वार जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली को जाने वाली सड़क की तरफ है तथा जो योजना जोन-‘डी’ के अंतर्गत आता है।	1.12 हेक्टेयर (2.76 एकड़)	दि.मु.यो.-2021 के अनुसार-‘आवासीय’	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: दयाल सिंह कॉलेज दक्षिण: 13.5 मार्गाधिकार वाली सड़क एवं प्रगति विहार हॉस्टल पूर्व: राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमि पश्चिम: लोधी रोड कॉम्प्लेक्स एवं पार्क।
		दि.मु.यो.-2021 के अंतर्गत तैयार की गई जोन-‘डी’ की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार-‘परिवहन (बस टर्मिनल)’।	‘सरकारी (सरकारी कार्यालय)’	

[फा. सं. के-13011/10/2015-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 1492(E).— whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2916(E) dated 14.11.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ZDP	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed Akshay Urja Bhawan for the Ministry of New and Renewable Energy, opposite CGO Complex, opening on Road to JLN Stadium, New Delhi, falling in Planning, Zone-‘D’.	1.12 ha. (2.76 acres)	As per MPD-2021-‘Residential’	‘Government (Govt. Office)’	North : Dayal Singh College South : 13.5 R/W Road and Pragati Vihar Hostel East : Land of National Investigating Agency West : Lodhi Road Complex and Park
		As per approved Zonal Development Plan of Zone-D prepared under MPD-2001-‘Transportation (Bus terminal)’	‘Government (Govt. Office)’	

[F.No. K-13011/10/2015-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.